उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग
संख्या-34/2022/आई/108179(1)/ 41-1002(001)/86/2021
लखनऊ:: दिनांक 09 जनवरी, 2022

शुद्धि-पत्र

जनपद अयोध्या स्थित नया घाट/पार्किंग स्थल/मुसपल आफिस/राही यात्री निवास एवं तुलसी उद्यान में टायलेट ब्लाक के कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में जारी शासनादेश संख्या-540/2022/आई/108179/ 41-1002(001)/86/2021, दिनांक 21.10.2021 के पृष्ठांकन सं0-7 में अंकित उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, लखनऊ के स्थान पर उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 21.10.2021 संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, अयोध्या।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अयोध्या।
5. श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक, पर्यटन निदशालय, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
8. अधिशाषी अभियन्ता, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10. उप निदेशक, पर्यटन अयोध्या मण्डल।
11. वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।